"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 25, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/7/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-10-2005, जिसके द्वारा डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 10-10-2005 से 29-10-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, अब उन्हें दिनांक 21-11-2005 से 09-12-2005 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 नवम्बर, 2005 एवं 10, 11 दिसम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. डॉ. राघवन, भा.प्र.से. के अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. कपूर, महानिदेशक, प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. राघवन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में डॉ. राघवन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राघवन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/14/2004/1/2.—श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से., सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 16-11-2005 से 16-12-2005 तक (31 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15-11-2005 तथा 17, 18 दिसम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 05-12-2005 से 09-12-2005 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 04, 10 एवं 11 दिसम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय से विदेश प्रवास (बर्मिंघम, यू. के.) की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 10-11-2005 एवं 11-11-2005 तक (दो दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/53/2004/1/2.—श्री कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से., तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को दिनांक 19-10-2005 से 03-11-2005 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 04-11-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-11-2005, जिसके द्वारा डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से., संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 28-11-2005 से 09-12-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26-11-2005 से 09-12-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11 दिसम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.
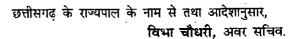
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

फा. क्र. 9171/2911/21-ब/छ.ग./05.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता, बेमेतरा, जिला दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए दुर्ग जिले के बेमेतरा नियमित न्यायालय के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक/1287/पं/22.— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के उपनियम (1) में वाक्य "ग्राम सभा का सम्मिलन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक तीन माह में होगा" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जाय:—

   "ग्राम सभा का सम्मिलन ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ऐसे अंतरालों पर आयोजित किया जावेगा जैसा कि उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कार्यसूची के आधार पर आवश्यक हो.

   परन्तु ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित होगा."

2. नियम 2 के उपनियम (2) में वाक्य "एक दशमांश" से होगी के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य अंत:स्थापित किया जाए :—

   "जिसमें कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगी."

3. नियम 4 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (3) अंतःस्थापित किया जाए :—

"(3) ऐसी सूचना ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी को भी भेजी जावेगी. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के पंच/सरपंच अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा के सम्मिलन में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे. यदि यथास्थिति पंच/सरपंच ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुल सदस्य संख्या एक दशमांश, जिसमें एक तिहाई महिला होंगी, उपस्थित कराने में असफल रहता है तो वह मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उसके पद से हटा दिए जाने का दायित्वाधीन होगा."

4. नियम 6 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह और भी कि वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों के चयन, वार्षिक बजट, लेखा, संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाए जाने के बारे में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा."

5. नियम 7 के वाक्य "इस प्रयोजन के लिए रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाएंगे" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किये जाए :—

"प्रारूप तीन में रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे और हस्ताक्षर अभिप्राप्त किये जाएंगे तथा उसी सम्मिलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, अन्य उपस्थित सदस्यों में से कम से कम पांच सदस्यों, ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी और ऐसी पुष्टि करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखे जाएंगे. निर्वाचन क्षेत्रवार ग्राम सभा में गणपूर्ति की गणना का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जाएगा. ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर संबंधित पदधारी की सूचना खण्ड के उपखंड अधिकारी को दी जायेगी. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्र के उपखंड अधिकारी द्वारा संबंधित पदधारी को नोटिस दिया जाएगा तथा आगे की दो ग्राम सभा में गणपूर्ति करने का उन्हें अवसर दिया जायेगा फिर भी गणपूर्ति न होने की स्थिति में संबंधित पदधारी के विरुद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी."

6. नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन बने प्रारूप-एक के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप-एक प्रतिस्थापित किया जाए :—

प्रारूप - एक
[नियम 4 (1) देखिये]

ग्राम सभा के सम्मिलन की सूचना

ग्राम सभा .... के सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम सभा का सम्मिलन तारीख .... को निम्नलिखित ग्राम .... के स्थान पर .... पर होगा.

सम्मिलन का स्थान ....

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, सम्मिलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित हैं.

ग्राम सभा के सम्मिलन के लिए, उसके सदस्यों की कुल संख्या के दशमांश अथवा अनुसूचित क्षेत्र के मामले में एक तिहाई से गणपूर्ति होगी. यदि सम्मिलन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर देगा जैसा कि वह नियत करें और एक नई सूचना विहित रीति में दी जाएगी और ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

परन्तु ऐसे सम्मिलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा और यह और भी कि वार्षिक कार्ययोजना हितग्राहियों के चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाये जाने के बारे में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा.

यह सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में स्थान .... पर चिपकाई जाएगी तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर इसकी घोषणा की जाएगी.

सम्मिलन में निम्नलिखित विषय रखे जायेंगे तथा निम्नलिखित आदेशों पर विचार किये जायेंगे :—

1. वर्ष .... के लिये लेखों का वार्षिक विवरण.

2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का प्रतिवेदन.

3. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विकास एवं अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित कार्य.

4. सदस्यों के प्राप्त सुझावों पर ग्राम पंचायत का नोट.

5. सम्मिलन में अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय. यदि कोई सदस्य सम्मिलन में किसी विषय पर सुझाव देना चाहे तो उसे सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ग्राम पंचायत के सचिव को लिखित में देना होगा.

7. नियम 8 के उपनियम (1) अधीन विहित कार्यवृत पुस्तक प्ररूप-दो में प्रथम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किया जाये :—

"ग्राम सभा का नाम ...."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक/पंग्राविवि/2005/1288.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd December 2005

No./1287/P/22.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 95 read with sub-section (3) of section 6 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Gram Sabha (Procedure of Meeting) Rules, 1994 the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (1) of rule 2 of the sentences "There shall be held a meeting every three months of the Gram Sabha every year" the following shall be substituted namely :—

"There shall be held a meeting of the Gram Sabha in each village of the Gram Panchayat at the intervals as required by the agenda.

Provided there shall be held at least a meeting during every three months."

2. After sentence "For any meeting of the Gram Sabha One tenth of the total number of Gram Sabha In sub-rule (2) of rule 2 the following sentence shall be inserted :—

"of which at least one third shall be female members."

3. After sub-rule (2) of rule 4 the following sub-rule (3) shall be inserted :—

"(3) Such Notice shall be sent to the each office bearer of the Gram Panchayat Having received such notice Panch/Sarpanch of the Gram Panchayat shall be liable to ensure the attendance of members of their constituency. If the Panch/Sarpanch, as the case may be fails to ensure the attendance of members of one tenth of which one third shall be female, of their constituency he shall the liable to be removed from his post under sub-section (3) of section 6 of the principal Act."

4. After sub-rule (1) of rule 6 the following proviso shall be inserted :—

"Provided further that resolution regarding the annual action plan, selection of beneficiaries, Annual budget, audit report and annual accounts and administrative reports and appointment or removal of Panchayat Karmi, may be passed only after having the quorum."

5. The sentences, "shall be entered in the attendance registered kept for the purpose", of rule 7 the following sentences shall be substituted :—

"Shall be entered in the attendance register kept in form III and signatures shall be obtained and duly signed and attested by at list five members amongst present, person presiding the meeting, secretary of Gram Panchayat and names and address of such attesting persons shall be entered below their signatures. The Constituency wise quorum in Gram Sabha shall be counted by the Secretary of the respective Gram Panchayat. Lack of quorum in consecutive three meetings of Gram Sabha shall be reported to the Sub divisional officer of the division. Having received such information, notice shall be issued by the Sub Divisional officer to the respective office bearer, opportunity shall be given to ensure quorum in the next meeting, failing which action of removal shall be taken against the respective officer bearer."

6. The form-I specified under sub-rule (1) of Rule-4 the following form-I shall be substituted.

FORM - I

[See Rule 4 (1)]

NOTICE OF MEETING OF GRAM SABHA

Notice is hereby given to all members of Gram Sabha .... That the meeting of the Gram Sabha shall be held on .... at .... of the following place-

Place of meeting ....

All members of the Gram Sabha whose names are in the voter list are invited to participate in the meeting.

For the meeting of the Gram Sabha, one-tenth or one third in the case of scheduled area of the total number of members there of shall form the quorum. If there is no quorum at the time fixed for the meeting person chairing the meeting shall adjourn the meeting till the next date and time, as fixed by him and a fresh notice shall be circulated in the prescribed manner, for which no quorum shall be required.

But in such meeting no new subject shall be considered and also that only after having the quorum resolution may be passed regarding annual budget, audit report and annual accounts and administrative report and appointment or removal of Panchayat Karmi.

This notice shall be affixed on the notice board of the Gram Panchayat and at .... in each village of the Gram Panchayat and it will be announced by beat of drum in the Gram Panchayat area.

The following subjects will be placed before the meeting and will be considered in the following order :—

1. the annual statement of accounts for the year ....
2. the report of the administration of the preceding financial year.
3. the development and other programme of works proposed for the next financial year.
4. the notes of the Gram Panchayat on the suggestions received from the members.
5. any other subject with the permission of the chairman of meeting. If any member desires to make suggestion or raise any subject in the meeting the same shall be given in writing to the secretary of the Gram Panchayat within one week from the date of this notice.

7. After line one in the form II minutes book prescribed under sub rule (1) of rule 8 the following words shall be inserted :—

"Name of Gram Sabha ...."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY GARG, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक 2622/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	खोलझर प. ह. नं. 36	11.23	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खोलझर जलाशय क्र. 1 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक 2624/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	उरेटा, प. ह. नं. 37	20.65	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	उरेटा गुरामी जलाशय के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक 2626/ले. पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	बुल्लूटोला प. ह. नं. 36	12.99	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	उरैटा गुरामी जलाशय के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक 12/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	तिलईपार प. ह. नं. 1	1.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमे.	बेलदहरा जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक 15/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	खपरी प. ह. नं. 6	7.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	लालपुर जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक 17/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गाड़ामोर	4.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./21-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना प. ह. नं. 110	5.556	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./22-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सोनडोंगरी प. ह. नं. 107	5.344	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./23-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	जरवाय प. ह. नं. 103	6.779	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./24-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डुमतराई प. ह. नं. 115	31.791	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	जुगानीकलार	0.532	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	भण्डारसिवनी उद्वहन सिंचाई योजना की नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/15/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कुल्हाड़गांव	0.141	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	भण्डारसिवनी उद्वहन सिंचाई योजना की नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक/2628/अ-82/सन् 2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-झिटिया, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
267	0.14
271/4	0.02
271/5	0.04
283	0.03
292	0.05
315	0.04
316	0.05
768	0.35
769	0.43
799	0.07
809/2	0.06
809/3	0.05
योग	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टटेंगा, औरी, झिटिया, रानीतराई, सुरेगांव मार्ग.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-लिहागांव, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
391/6, 391/7	0.365
योग	0.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिहागांव तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक 9778/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रातापायली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	258/2	1.06
	258/1	0.08
	259/2	0.02
योग	3	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अर्जुनी-रातापायली मार्ग के कि.मी. 2/6-8 पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक 9802/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोलिहालमती, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.727 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153	0.004
155	0.004
156	0.004
164/6	0.083
165	0.072
420	0.421
170	0.288
172/5	0.105
172/6	0.563
172/7	0.288
173	0.396
174/1	0.567
174/3	0.065
180/2	0.101
174/2	0.429
180/1	0.117
180/3	0.283
175	0.298
177	0.474
176	0.415
179	0.153
199/27	0.048
199/10	0.049

(1)	(2)
199/15	0.048
199/23	0.044
199/25	0.044
199/26	0.081
192/1	0.704
192/2	0.587
192/3	0.121
194/2	0.081
196/1	0.282
197/1	0.047
197/2	0.057
197/3	0.048
197/4	0.048
365	0.158
366/1	0.081
366/2	0.0178
400	0.291
407	0.101
408	0.243
409	0.073
410	0.243
414	0.198
418	0.220
419	0.413
530	0.105
421/2	0.300
422	0.429
423	0.433
425/1	1.045
426	0.947
427	0.454
429	1.003
537/2	0.014
538/2	0.152
538/1	0.064
433	1.554
522	0.060
524/3	0.180
526	0.630
535/1	0.100
535/2	0.203
537/1	0.211
425/2	0.089
194/3	0.065
523	0.067
योग 68	17.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 261/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुधरी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/3	0.012

(1)	(2)
45/4, 5	0.016
132/3	0.016
132/5	0.020
31/4	0.020
47/6	0.036
योग	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुधरी सब डिवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 262/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-उच्चपिण्डा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42/5	0.012
74	0.020
341	0.020
342	0.012
334/11	0.081
294/2	0.008
529/3	0.040
योग	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घुरकोट उप वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 263/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटियाडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
7/4	0.012
7/1	0.016
79/2	0.012
78	0.020

(1)	(2)
93	0.040
173	0.012
67	0.040
53/1 ख, 53/2	0.020
59/1	0.008
योग	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़े मुड़पार माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 264/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरमुड़ा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
962/3	0.061
942, 943	0.077
1010/1, 1011/3	0.012
1013/1, 3 क	0.036
योग	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिटाईपाली ब्रांच माइनर/1 एल ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 265/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100/2	0.036
98/3	0.028
योग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छुहीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 266/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कबारीपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456/5	0.069
297/6	0.061
योग	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेड़ा माइनर व 2 आर ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 267/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1567/3	0.016
1586/3	0.008
1275, 1262/1	0.004
1249	0.028
योग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेड़ा माइनर एवं उसकी ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 268/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेकोट, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
250/5, 250/6	0.065
योग 1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़ेकोट माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 269/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्री, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/ख, ग	0.028
1610	0.024
1618	0.069
1658/3	0.049
1482/16	0.057
1388/3, 1389/3	0.053
1482/11	0.053
1471/5	0.004
2026/3	0.008
2041/4	0.016
2041/1	0.020
2072/3	0.012
2076/2	0.012
योग	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नवापारा उप शाखा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 270/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरियागढ़, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
289/1	0.028
299/1	0.057
362/1	0.153
362/2	0.121
360/2	0.020

	(1)	(2)
	363/7	0.040
	374/3	0.012
	371/1	0.085
योग	8	0.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिरियागढ़ माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 271/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-डूमरपाली, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	559/2	0.069
	555	0.081
	547/2	0.045
	658/1	0.036
	658/3	0.028
योग		0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2 आर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 272/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1243	0.016
	1258/2	0.012
	1213	0.020
	1196/3	0.040
	1217/1	0.040
योग	5	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सपिया माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 273/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	46	0.073
	34/2	0.012
	33	0.020
	29/9	0.121
योग	4	0.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फगुरम सब डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 274/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बघौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.852 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	21/3, 22/2	0.077
	54/6	0.040
	54/7	0.028
	64/1	0.028
	100/2	0.081
	150	0.028
	148, 151/2	0.061
	915	0.028
	1378	0.036
	11/1	0.032
	1326	0.105
	10	0.028
	944/1	0.008
	945/3	0.012
	212	0.020
	243/7	0.057
	331	0.020
	351	0.004
	315	0.053
	623/1	0.061
	593/2	0.045
योग		0.852

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गिरगिरा माइनर एवं अन्य 3 आर, 2 एल, 2 एल/1 आर, ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 275/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-दारीमुड़ा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/1	0.040
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दारीमुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 276/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/2	0.053
14/3	0.032
14/8	0.069
योग	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़े मुड़पार सब डिवाय नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 277/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंधरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
929	0.016
1253/2	0.020
941/2	0.093
1086/5	0.061
1242/2 ग	0.032
योग	0.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 278/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली (चेचंग), प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
413/1	0.016
353/5	0.040
358/3	0.040
360/1	0.045
352/2, 353/2, 356/3	0.008
286/3, 287/3	0.053
योग	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 279/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्री, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72	0.016
483/4	0.049
1394	0.008
1152	0.040
989	0.016
1085/2	0.004

	(1)	(2)
	1056	0.024
योग		0.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 7 आर, 8 एल/1 आर, 10 एल, 11 एल, 12 एल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	247/7, 247/8, 297/1	0.109
	179/1, 179/2, 179/3	0.024
योग	2	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-टेमटेमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	435	0.057
	237	0.008
	236/1	0.101
योग	3	0.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-घघरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	235/1	0.020
	266/2	0.032
	118/7	0.008
	288/2	0.016
	282/5	0.020
	267	0.016
योग	6	0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	137/5	0.049
	146/2	0.028
योग	2	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-सोण्डका
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.346 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436/2	0.012

(1)	(2)
235/4	0.012
235/2 क	0.032
424/1	0.061
2/8	0.016
436/1	0.008
8/1, 9/1	0.040
10/1	0.020
387, 388/2 क	0.045
425/1 ग	0.012
269/9	0.012
9/5	0.020
268/2 क	0.020
268/6	0.008
269/1	0.012
268/3 घ	0.008
297/2 ख	0.008
योग 17	0.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/ख. लि./खुघो/2005/358.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत् रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खं नं.	रकबा	अन्य विवरण
बासीन	07	राजिम	1178	0.24 एकड़ शासकीय भूमि	श्री पुरन लाल साहू आ. श्री जीवराखन लाल साहू निवासी बासीन तहसील राजिम के नाम पर ग्राम बासीन शासकीय भूमि खसरा नंबर 1178 रकबा 0.64 एकड़ क्षेत्र पर चूनापत्थर अवधि 1-12-2000 से 30-11-2005 तक स्वीकृत था पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण खदान रिक्त है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th October 2005

No. 167/II-14-1/2005 (Part-III).—The following Assistant Registrar are promoted to the post of Deputy Registrar in the pay-scale of Rs. 10000-325-15200/- on the establishment of this High Court, in officiating capacity for a period of two years from the date they assume charge of their duties :—

Sl. No.	Name
1.	Shri S. K. Rao
2.	Shri Manish Hande

Bilaspur, the 21st November 2005

No. 5608/I-7-3/2006 (Pt.-Ist).—It is hereby notified that the following are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2006.

Summer Vacation :- Monday 15th May to Friday 9th June, 2006

Winter Holidays :- Tuesday 26th December to Saturday 30th December, 2006

Dushera Holidays :- Wednesday 27th September to Monday 2nd October, 2006

Deepawali Holidays :- Monday 16th October to Friday 20th October, 2006

S. No.	Name of Holidays	No. of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Id-Ul-Zuha	1	11-01-2006	Wednesday
2.	Republic Day	1	26-01-2006	Thursday
3.	Moharram	1	09-02-2006	Thursday
4.	Holi	1	15-03-2006	Wednesday
5.	Ram Navami	1	06-04-2006	Thursday
6.	Mahavir Jayanti and Milad-Un-Nabi.	1	11-04-2006	Tuesday
7.	Ambedkar Jayanti and Good Friday.	1	14-04-2006	Friday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Raksha Bandhan	1	09-08-2006	Wednesday
9.	Independence Day	1	15-08-2006	Tuesday
10.	Janmashtami	1	16-08-2006	Wednesday
11.	Pitramoksha Amavasya	1	22-09-2006	Friday
12.	Gandhi Jayanti/Dushera Holidays	6	27-09-2006 to 02-10-2006	Wednesday to Monday
13.	Deepawali Holidays	5	16-10-2006 to 20-10-2006	Monday to Friday
14.	Id-Ul-Fitr	1	25-10-2006	Wednesday
15.	Guru Ghasidas Jayanti	1	18-12-2006	Monday
16.	Christmas	1	25-12-2006	Monday

NOTES :—

1. All the Sundays are Declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The Saturdays falling on 14th January, 2006, 21st January, 2006, 11th February, 2006, 18th February, 2006, 11th March, 2006, 18th March, 2006, 8th April, 2006 15th April, 2006, 13th May, 2006, 20th May, 2006, 10th June, 2006, 17th June, 2006, 8th July, 2006, 15th July, 2006, 12th August, 2006, 19th August, 2006, 9th September, 2006, 16th September, 2006, 14th October, 2006, 21st October, 2006, 11th November, 2006, 18th November, 2006, 9th December, 2006 and 16th December, 2006 shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. All Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in summer vacation, may be declared non-working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

4. New Year Day Deted 01-01-2006, Mahashivratri Dated 26-02-2006 Dushera (Maha Navmi) 01-10-2006 fall on Sunday and Budha Purnima Dated 13-05-2006 falls on closed Saturday therefore no Holiday is declared separately.

5. The High Court shall remain closed from 15-05-2006 to 09-06-2006 on account of Summer Vacation and from 26-12-2006 to 30-12-2006 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Summer Vacation and Winter Holidays, except on Sundays and the Holidays.

6. The High Court shall remain closed from 27-09-2006 to 02-10-2006 on account of Dushera Holidays and from 16-10-2006 to 20-10-2006 on account of Deepawali Holidays but the Registry shall remain open during Dushera Holidays except from 30-09-2006 to 02-10-2006 and during the Deepawali Holidays except from 19-10-2006 to 20-10-2006.

7. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2006.

By the order of the High Court,
D. K. TIWARI, Additional Registrar (Estt.)